

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 23/10/2017

संख्या-2/एल०-32/17- /स्वा०, डा० सोनू कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटकुसुम्भा, शेखपुरा के द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-03.04.2017 से 17.04.2017 तक को वित्त विभागीय पत्रांक-640 दिनांक-19.06.2015 के आलोक में कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-307(5), दिनांक-18.3.17 के आलोक में विशेष सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(जगदीश कुमार)  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-2/एल०-32/17- 941(2)

पटना, दिनांक 23/10/2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटनार/वित्त (वै०दा०नि०को०) बिहार, पटना/सिविल सर्जन, शेखपुरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटकुसुम्भा, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/डा० सोनू कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटकुसुम्भा, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।